न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–5/2022 (2022/35) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–नारायण पिता रामपाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता बाबुड़ी पत्नि रामपाल नि.खुटियां तह.रायपुर
2–पिन्टु पिता रामपाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता बाबुड़ी पत्नि रामपाल नि.खुटियां तह.रायपुर
3–सोनु पिता रामपाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता बाबुड़ी पत्नि रामपाल नि.खुटियां तह.रायपुर
4–बाबुड़ी पत्नि रामपाल लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मोहनी पत्नि नारायणलाल गाडरी निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–मंगनी पत्नि जेठु लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–मदन पिता जेठु लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–मेहताब पिता गुलाब लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–अर्जुनसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भोपालसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरीश टेलर – प्रार्थी अधिवक्ता
2. पर्वत सिंह – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–07.07.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खुटिया पटवार मण्डल नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 465 रकबा 0.59 हैक्ट भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम खुटिया से रायपुर जाने वाली आम डामरीकृत सड़क से होकर आगे विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 2 खातेदारी आराजी संख्या 470 व 469 की पश्चिमी पालियो पर होकर 15 फीट चौड़ाई में स्थित हैं। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण व हमारा परिवारजन वर्षों से आवागमन कर रहे हैं। कभी भी विपक्षीगण ने रोक टोक नहीं किन्तु विपक्षीगण पिछले 7–8 माह से रोक टोक कर रहे है। विपक्षीगण ने धमकी दी की रास्ता [illegible] नही है इसलिये आवागमन नही करने देंगे। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण [illegible] उक्त आराजी में आवागमन करने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही हैं। [illegible] आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। विपक्षीगण ने छड़िया एवं कांटे डालकर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में जाने से वंछित हो रहे हैं। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करवाया जाना न्यायोचित है। इस हेतु रास्ते के बदले प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि जमा करवाने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:09 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम खुटिया में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 465 में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 470 व 469 की पश्चिमी पालियो पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावें तथा रास्ते का खुलासा करवाया जावें व विपक्षीगण को पाबन्द करवाया जावें कि उक्त वर्णित रास्ते से विपक्षीगण कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नही करे और रास्ते को सदैव खुला। रास्ते को भविष्य में कभी बन्द नहीं करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण का कभी आवागमन आराजी संख्या 469 व 470 में नही था तो रास्ता रोकने का कोई सवाल ही नही है। प्रार्थीगण सदैव आराजी संख्या 460 में होकर आवागमन करते है। प्रार्थीगण कभी भी आवागमन के लिये आराजी संख्या 469, 470 का उपयोग नही किया है। आराजी संख्या 460 पर रास्ता खुला हुआ है तथा प्रार्थीगण सदैव वही से आवागमन करते आ रहे है। आराजी संख्या 469 व 470 में रास्ता देना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि आराजी संख्या 465 रकबा 0.57 है0 में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 469, 470 में होकर पूर्व में आना जाना किया जा रहा था परन्तु मौके पर पत्थर का कोट बनी होकर आवागमन बन्द है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा आराजी संख्या 460 रकबा 1.01 है0 भी पूर्वी में होकर आना जाना हो सकता है थोहर की बाड़ है। प्रार्थीगण ने बताया की वर्तमान उक्त आराजी नम्बर 465 में आना जाना बन्द है। उक्त रास्ते में आराजी संख्या 469 रकबा 0.71 है0 मे से 184 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 470 रकबा 0.13 है0 मे से 64 वर्गमीटर कुल 248 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते हेतु आता है उक्त भूमि की डीएलसी दर सड़क के पास सिंचित 282902 रूपये प्रति है0 है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार है। वर्तमान में जो रास्ता है उसे काली स्याही से प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से एवं वैकल्पिक रास्ते (प्रस्तावित) को ब्ल्यू स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर वैकल्पिक रास्ते को ब्ल्यू स्याही से आराजी संख्या 460 में नक्शे में दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:32:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षीगण के द्वारा जो रास्ता अपने जवाब में दर्शाया गया है वहां रास्ता नही है और न कभी आवागमन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि में छड़िया और कांटा डाल कर अवरूद्ध करने का प्रयास किया गया, प्रार्थीगण के मना करने पर भी अपनी हठधर्मिता करते रहे

जिस पर मजबुर होकर प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते को बिलानाम सरकार दर्ज कराया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वहां कभी आवागमन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी की आराजी संख्या 469 व 470 में रास्ता देना न्यायोचित नही है प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में आवागमन करने से उस रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि विपक्षी की आराजियात में कोई आवागमन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण आराजी संख्या 460 में होकर आवागमन करते रहे है जबकि तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी संख्या 465 में आराजी संख्या 469 व 470 में होकर पूर्व में आवागमन किया जाता रहा था किन्तु विपक्षीगण के द्वारा रास्ते को बन्द करने की कोशिश की गई तब मजबुरन प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया कि वर्तमान में मौके पर पत्थर का कोट कर प्रार्थीगण का आवागमन बन्द कर रखा है जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन नही कर पा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा और मौके पर रास्ता उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 865 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 470 रकबा 0.14 है0 मे से रकबा 64 वर्गमीटर व आराजी संख्या 469 रकबा 0.71 है0 मे से 184 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 248 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएससी दर 282902 / —रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 7016 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 14032 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर [illegible] रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:09 IST
Reason: SelfAttested

07/07/2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—5/2022 (2022/35) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण पिता रामपाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता बाबुड़ी पत्नि रामपाल नि.खुटियां तह.रायपुर
2—पिन्टु पिता रामपाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता बाबुड़ी पत्नि रामपाल नि.खुटियां तह.रायपुर
3—सोनु पिता रामपाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता बाबुड़ी पत्नि रामपाल नि.खुटियां तह.रायपुर
4—बाबुड़ी पत्नि रामपाल लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मोहनी पत्नि नारायणलाल गाडरी निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मंगनी पत्नि जेदु लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—मदन पिता जेदु लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मेहताब पिता गुलाब लुहार निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—अर्जुनसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भोपालसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 865 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 470 रकबा 0.14 है0 मे से रकबा 64 वर्गमीटर व आराजी संख्या 469 रकबा 0.71 है0 मे से 184 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 248 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएससी दर 282902/—रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 7016/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 14032/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

07/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:09 IST
Reason: SelfAttested